

23-5-24

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 6.6.24 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

6.6.24

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थनापत्र उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार की है प्राप्त हुए जिसे शाप किये गये। विपक्षीगण को कितनी मर्तवा कर-कर कर आवाजें डिलानी जाने के बाद भी उपस्थित नथे, इनके प्रिकट एक तरफा कार्यवाही किये जावे का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थनापत्र को प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के सम्मन लिख्य जाकर शाप किये गया। पत्रावली फॉल्ल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला गीलवाड़ा



श्री बदर स/अष्टुल रहमान मुसलमान निवासी - राखीगढी माण्डला मंडला जिला

उपस्थित

श्री अष्टुल रहमान फकीर खियासी - राखीगढी माण्डला मंडला जिला (सहायक प्र.पत्र संख्या)

दिनांक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 06-06-24

आदेश:-

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत परतुरा कर विधायक विभाग को
माण्डला तहसील इल्का माण्डला तहसील माण्डला में उससे खाते / संयुक्त खाते की
की नं. 5535, 5546, 5552/1 कित्ता 03 रकबा 0.1896 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि
पक्षीगण 3 के मुख्य आराजी नुतवायिका के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न हो
है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 23-5-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
न्यायार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कमान को
हारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए
न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार योग्य है।

आदेश:-

का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर प्रा. माण्डला तहसील
माण्डला तहसील माण्डला में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 5535/3, 5546/3, 5552/1
कित्ता 03 रकबा 0.1896 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जांचकारी किये
हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-आभिलेख निरीक्षक माण्डला
500 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जा
यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जायें। फसल खाड़ी होने पर
गढी नहीं की जायें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डला जिला मीलवाड़ा

नोट:- तहसीलदार माण्डला को भेजाकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डला जिला मीलवाड़ा